

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/21/21.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/21/22 दिनांक 03.08.2020 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात् छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16—ग की उप—धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” की कंडिका 08—प्रबंध को छोड़कर, कंडिका—5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15—35/15—02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05—(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची—एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05—(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची — एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई—मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची—एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :— अनुसूची — एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप—सचिव.

छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019 जिला बलरामपुर

अनुसूची-एक

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (सोसाइटी)
1	2	3	4
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सेवारी	अमदरी, कोरगी, पतरापारा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, राजपुर

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, राजपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जिगड़ी	जिगड़ी, अकलडीहा, कबडू, मांकड़, उफिया, बासेन, उलिया, महुडांड लदकुड़, परती, बाड़ीचलगली, महंगई
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बरतीकला	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बड़कागांव	बड़कागांव, शारदापुर, कछिया, ढढ़िया, बुढ़ाटांड, ओदारी, भगवानपुर खास, भगवानपुर जीरात, अल्का, सुरसा
3	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरो		मानपुर
4	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, वाङ्गनगर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बसंतपुर	बसंतपुर, पभुपतिपुर, मिथिलापुर, कुन्दी, गोबरा, धनवार, फलीडुमर, जमई, बसुलापाट, रूपपुर, लमोरी, बाजरा, भोदर
5	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, विरेन्द्रनगर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, डिण्डो	डिण्डो, विमलापुर, कुण्डपान, सलवाही, चेरा, महादेवपुर, बराहनगर
6	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कामेश्वरनगर		तारकेभवरपुर, डूमरपान, चूनापाथर, कुरलुडीह, टाटीआथर
7	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रघुनाथनगर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सरना	सरना, सोनहत, गैना
8	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रामनगर		गिरवानी, चंवरसराई, बेतो, जौराही
9	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कपिलदेवपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रनहत	रनहत, करीचलगली, अमरपुर, चमनपुर, भैरोपुर, कोदाकी, चौगई, लेफरी, चीतमा, फतेहपुर, मकरो, गौरीपुर, लुर्गीखुर्द,
10	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बरदर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तातापानी	तातापानी, दमोदरपुर, धनेभापुर, धनगांव, नवाडीह, बृजबंधा, लुरघुटा, सारंगपुर, विश्रामनगर, रसबंधा
11	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गोपालपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, टुकुडाड़ (सूरजपुर)	करसी, मकनपुर, बुढ़ाडांड, सिलफिली, बरबसपुर, कनकपुर

अनुसूची-तीन

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बलरामपुर	महाराजगंज, अमडंडा, पचावल, सौनी, कोटपाली, खजुरी, राधाकृष्णनगर, जरहाडीह, चिरकोमा, झलपी, पुटसुरा, सागरपुर, जाबर, मंगलहरा, ओंकारनगर		आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, महाराजगंज
		जवाहरनगर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बरदर	—
		झलरिया, घघरा, बठौरा, खरसोता	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पस्ता	—
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भंवरमाल	महावीरगंज, गम्हरिया, चिनिया, इन्द्रपुर, छतरपुर, भावपुर, पिपरौल, परहीयाडीह, विजयनगर, भाला, मितगई, फुलवार		आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, महावीरगंज
3	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, त्रिकुण्डा	मेघुली	—	
		पिपरपान	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कामेश्वरनगर	—